प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2015**

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 278/पीएसडीएफ/2015, दिनांक 23.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 14,41,00,00,000/- (रूपये चौदह सौ इक्तालिस करोड़ मात्र) में से रूपये 991,00,00,000/- (रूपये नौ सौ इक्यानबें करोड़ मात्र) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचॉस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को रूपये 225,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचीस करोड़ मात्र) की दो समान किस्तों में माह फरवरी, 2015 एवं माह मार्च, 2015 में आहरित की जायेगी।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाये। इसका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी अलग-अलग उपलब्ध कराया जायेगा तथा जहॉ पर कार्य कराया गया है उनके स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर माह दिसम्बर, 2014 में किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13

http://shasanadesh.up.nic.in

जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

7- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यो के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पडे हो।

9- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 23 /दस-2014, दिनांक 03 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/202(1)/24-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in